UPAG010001802025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–04, आगरा।
उपस्थित : दिनेश तिवारी, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP 6188

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–98/2025

संदीप कुमार पुत्र श्री रवि प्रकाश जाटव निवासी–सैक्टर 7, आवास विकास कॉलौनी, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा। उम्र करीब 19 वर्ष।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–840/2024
धारा–304(2), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0
थाना–सिकन्दरा, जिला आगरा।

दिनांक : 13.01.2025

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त संदीप कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–840/2024 अन्तर्गत धारा 304(2), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0 थाना सिकन्दरा, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार रवि प्रकाश के शपथ पत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा थाने पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 20.12.2024 को समय करीब 05:40 बजे वह अपने फोन पर बात कर रहा था, तभी पीछे से मोटर साईकिल पर सवार दो लड़कों ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया और भागने लगे, तभी उसने शोर मचा दिया जिस कारण रास्ते से गुजर रहे अन्य लोगों ने पीछा कर उस मोटरसाईकिल सवार लड़कों को पकड़ लिया है। इन लड़कों के पास कई अन्य मोबाइल भी हैं। इनकी मोटरसाईकिल का नमबर यू0पी0 82 एबी 5536 है। इनको पकड़कर लेकर आए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उसका छीना हुआ मोबाइल ओप्पो ए555 पूरी तरह टूट गया है, जो इन्हीं के पास है।

उसका मोबाइल केनरा बैंक, देहतोरा से छीना है।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्दरा, आगरा पर अभियुक्तगण प्रशांत सिंह व संदीप कुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0 840/2024 धारा–304(2), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी को मामले में झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से अपराध से संबंधित कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। वादी व उसके साथियों द्वारा अभियुक्त के साथ मारपीट की गयी। अभियुक्त पक्ष की तरफ से मारपीट की कोई सिविल कार्यवाही न की जाए, उससे बचने के लिए पुलिस से मिलकर झूठा अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। उक्त घटना के अतिरिक्त अन्य मोबाइल दर्शाए गए हैं, उनसे प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है और न ही वे मोबाइल अन्य घटना से संबंधित हैं। वास्तविक रूप से यदि प्रार्थी द्वारा घटना कारित करके मोबाइल छीने गए होते तो निश्चय ही अभियुक्त उन्हें साथ लेकर नहीं घूमता। प्रार्थी दिनांक 21.12.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा थाने की आख्या प्रस्तुत करके, जमानत का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्त के साथ मिलकर झपट्टा मारकर वादी मुकदमा का मोबाइल छीना गया है। पकड़े जाने पर अभियुक्तगण के कब्जे से वादी का मोबाइल व चोरी के अन्य मोबाइल बरामद किए गए हैं। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्त के साथ मिलकर झपट्टा मारकर वादी मुकदमा का मोबाइल फोन छीने जाने तथा जनता द्वारा पकड़े जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त व सह–अभियुक्त के कब्जे से वादी मुकदमा का मोबाइल फोन व चोरी के अन्य मोबाइल फोन बरामद किए जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध में सात वर्ष से अनधिक की सजा का प्रावधान है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त पकड़े जाने के बाद से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सह–अभियुक्त प्रशान्त

सिंह की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के तथ्यों के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये हुए, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी/अभियुक्त संदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0. 50,000/– रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, दाखिल करने पर, प्रार्थी/अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना/विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।

3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा में संबंधित न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(दिनेश तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–04
आगरा।